पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) - अभिदाता सूचना विवरणिका

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु के पश्चात् रु.1000, रु.2000, रु.3000, रु.4000, रु.5000 प्रतिमाह की न्यूनतम मासिक पेंशन गारंटी का विकल्प प्रदान करती है I
- अटल पेंशन योजना खाता खोलने के लिए अभिदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए I

*1 अक्टूबर, 2022, से, कोई भी नागरिक जो आयकरदाता (आयकर अधिनियम,1961 के तहत) है या रहा है, एपीवाई योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। .

- अभिदाता किसी बैंक शाखा/डाकघर के माध्यम से या बैंक द्वारा प्रदत्त डिजिटल ऑनबोर्डिंग द्वारा एपीवाई में शामिल हो सकता है I
- एपीवाई खाता खोलते समय नामितिकरण और पति/पत्नी का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है I
- बचत बैंक खाते द्वारा ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक या त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर अंशदान किए जा सकते हैं I

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तीन लाभ, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

- अभिदाता को रु.1000 से 5000 की आजीवन न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्राप्त होगी I
- अभिदाता की मृत्यु के बाद वही पेंशन राशि अभिदाता के पति/पत्नी को प्राप्त होगी I
- पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात् नामिति को 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि की वापसी I

एपीवाई के तहत प्रान, लेन-देन विवरण और अंशदान

- लेन-देन विवरणी और प्रान कार्ड को किसी भी समय www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>> Print APY e-PRAN/Transaction Statement View पर जाकर निःशुल्क देखा और प्रिंट किया जा सकता है I
- अभिदाता पर्याप्त राशि का भुगतान करने के पश्चात् https://enps.nsdl.com/enps/APYRePrintPran.html>> Atal

Pension Yojana>> Print APY Pran Card वेबसाइट पर जाकर भौतिक प्रान कार्ड जारी करने का अनुरोध कर सकता है I

- अटल पेंशन योजना में नामांकन करने के पश्चात् भौतिक लेनदेन विवरणी वर्ष में एक बार पंजीकृत पते अर्थात् अभिदाता द्वारा अटल पेंशन योजना में खाता खोलने के समय प्रदान किये गए पते पर भेजी जाएगी I
- प्रोटियन-सीआरए द्वारा अभिदाता के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर आवधिक एसएमएस अलर्ट के माध्यम से अंशदानों की स्थिति के विषय में सूचना दी जाएगी I
- भारत सरकार के डिजी-लॉकर में भी ई-प्रान उपलब्ध कराया गया है I

एपीवाई के तहत अभिदाता विवरण का संशोधन

- अभिदाता को एपीवाई अभिदाता संशोधन फॉर्म में वांछित परिवर्तन भरने होंगे और व्यक्तिगत जानकारी जैसे पता, फोन नम्बर, आदि में संशोधन के लिए उसे एपीवाई-एसपी शाखा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा I फॉर्म को https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है I
- अंशदान की आवृत्ति में परिवर्तन जैसे तिमाही अंशदान से मासिक अंशदान या छमाही अंशदान से तिमाही अंशदान आदि एपीवाई अभिदाता द्वारा एपीवाई-एसपी शाखा में वर्ष में कभी भी लिखित अनुरोध जमा करने के बाद किया जा सकता है ।
- एपीवाई अभिदाताओं के लिए आधार सीडिंग प्रणाली को जारी किया गया है, जिसमें अभिदाता तत्काल रूप से एपीवाई खाते में आधार को https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >>Aadhaar Seeding for APY subscribers पर अपडेट कर सकते हैं I

पेंशन राशि को अपग्रेड/डाउनग्रेड करना

- एपीवाई अभिदाता वर्ष में कभी भी पेंशन राशि को अपग्रेड/डाउनग्रेड कर सकता है । उसके लिए https://www.npscra.nsdl.co.in/>>Home>> Atal Pension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance >> Subscriber Modification Form, पर उपलब्ध एपीवाई अभिदाता संशोधन फॉर्म को एपीवाई-एसपी शाखा पर जमा कराना होता है I
- यह प्रणाली उपयोगकर्ता को चयनित नई गारंटीड पेंशन राशि के अनुसार जमा होने वाली अंतर राशि/वापस प्राप्त होने वाली अंतर राशि की जांच करने में सक्षम बनाती है I
- अपग्रेड के मामले में अंतर राशि जमा की जानी होगी और डाउनग्रेड के मामले में अंतर राशि अभिदाता को वापस की जाएगी ।
- पुनः-निर्धारण पद्धति द्वारा पेंशन अपग्रेड की एक नयी प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें अंशदान का भुगतान मौजूदा आयु और पेंशन राशि के अंतर के आधार पर किया जाएगा । इस प्रक्रिया में, कोई एकमुश्त अंतर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है I

एपीवाई से निकास

- **स्वैच्छिक निकास (60 वर्ष की आयु से पूर्व निकास)** : एपीवाई खातों को बंद करने के लिए विधिवत् भरा हुआ "खाता बंद करने का (स्वैच्छिक निकास)" फॉर्म और अन्य संबंधित दस्तावेज संबंधित एपीवाई-एसपी शाखा में जमा करना होगा । फॉर्म यहाँ उपलब्ध है : *www.npscra.nsdl.co.in*>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY withdrawal form I यह एपीवाई-एसपी शाखा में भी उपलब्ध होगा । अभिदाता को एपीवाई खाता बंद होने के बाद भी, एपीवाई खाते से जुड़े बचत बैंक खाते को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय से पूर्व निकासी के समय अभिदाता को जो समापन राशि प्राप्त होती है वह एपीवाई से जुड़े बचत बैंक खाते में अंतरित की जाती है और इस खाते को बंद करने से समापन राशि के अंतरण में समस्या आ सकती है ।

- **60 वर्ष से पूर्व एपीवाई अभिदाता की मृत्यु होने पर** : अभिदाता के पति/पत्नी के पास अभिदाता के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प होता है, जिसे शेष निहित समय में पति या पत्नी के नाम पर जारी रखा जा सकता है, जब तक कि मूल अभिदाता की 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं हो जाती । यदि पति या पत्नी खाते को जारी नहीं रखना चाहते, तो उसे केवल उसके संचित पेंशन धन को अर्थात् उसके द्वारा एपीवाई में किये गए अंशदान के साथ-साथ उसके अंशदान पर शुद्ध वास्तविक ब्याज (खाता रखरखाव शुल्क घटाने के बाद) को वापस कर दिया जाएगा ।
- **मृत्यु के कारण निकास** : दावाकर्ता संबन्धित एपीवाई-एसपी शाखा में मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ विधिवत् भरा हुआ "एपीवाई क्लोजर फॉर्म (मृत्यु)" जमा कर सकता है । फॉर्म यहाँ उपलब्ध है : *www.npscra.nsdl.co.in*>>Home>>Atal PensionYojana>>Forms>>Withdrawal form >>APY Death form I यह एपीवाई-एसपी शाखा में भी उपलब्ध है ।

एपीवाई मोबाइल एप्लीकेशन

- एपीवाई मोबाइल एप्लीकेशन एपीवाई उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, जिसमें हाल के 5 अंशदान देखे जा सकते हैं और लेनदेन विवरण तथा ई-प्रान को नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है I एंड्रोइड उपयोगकर्ता गूगल प्लेस्टोर से सर्च विकल्प पर जाकर 'एपीवाई और एनपीएस लाइट' लिखते हुए एपीवाई मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं I
- एपीवाई चैटबॉट नामक नई प्रणाली को मोबाइल एप पर लाइव किया गया है, जिसमें मानव हस्तक्षेप के बिना तत्काल आधार पर शिकायतों के समाधान में मदद मिलती है I
- पेंशन अपग्रेड/डाउनग्रेड कैलकुलेटर की उपलब्धता I

एपीवाई के तहत सूचना की मांग और शिकायत दर्ज करना

- अभिदाता एपीवाई पर अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति के लिए प्रोटियन सीआरए-अटल पेंशन योजना हेल्पडेस्क के टोल फ्री नम्बर 1800 889 1030 पर कॉल कर सकता है I
- एपीवाई चैटबॉट नामक नई प्रणाली को वेब पर लाइव किया गया है, जिसमें मानव हस्तक्षेप के बिना तत्काल आधार पर शिकायतों का समाधान किया जा सकता है I
- एपीवाई खाता/अंशदान से सम्बन्धित प्रत्येक शिकायत के लिए एपीवाई-एसपी शाखा से संपर्क किया जा सकता है I
- अभिदाता द्वारा कहीं से भी निःशुल्क शिकायत www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select : NPS-Lite पर जाकर या CGMS के जरिए दर्ज कराई जा सकती है।
- शिकायत दर्ज करने वाले अभिदाता को दर्ज की गई शिकायत के लिए एक टोकन नंबर आवंटित किया जाएगा । अभिदाता शिकायत की स्थिति को "Check the status of Grievance/Enquiry already registered" पर जाकर देख सकते हैं।

एपीवाई सोशल मीडिया पेज लिंक्स

एपीवाई, पीएफआरडीए पेज उपलब्ध है :	पीएफआरडीए पेज उपलब्ध है :
▪ **फेसबुक**- https://www.facebook.com/OfficialAPY/ ▪**एपीवाई की पाठशाला का यूट्यूब लिंक** - https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg-O6ipH1J_HTfU17ug	▪**लिंक्डइन**-https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of-india-051614168/?originalSubdomain=in ▪ **यूट्यूब** https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY-LDeyIWCwYu15Q • **ट्वीटर** https://twitter.com/pfrdaofficial?lang=en • **INSTAGRAM** **https://www.instagram.com/atalpensionyojanagoi/**

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें :

पीएफआरडीए वेबसाइट : https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>FAQs

प्रोटियन-सीआरए वेबसाइट : www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Introduction>>APY Scheme details, www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>FAQ's>>APY FAQ's

एनपीएस न्यास वेबसाइट : http://www.npstrust.org.in>>Atal Pension Yojana>>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in>>Atal Pension Yojana>>APYFAQs10092015.pdf

APY Mobile App:

APY Podcasts:

Downloading APY Transaction Statement and e PRAN

e-APY Process